सिविल वाद में निर्णय का शीर्ष

जिला–जमुई

न्यायालय–द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

सह

मोटरयान दावा अधिकरण, जमुई

दावा वाद संख्या–11/2012

गौतम कुमार ..... दावाकर्त्ता ।

बनाम

सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य ..... विपक्षीगण।

आदेश

17.08.21 1. विपक्षी संख्या–3 ता 6 के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–03.04.21 एवं आवेदक की ओर प्रतिउत्तर दिनांक–14.07.21 आदेशार्थ प्रस्तुत हुआ। उभयपक्षों को भर्चुअल माध्यम से पूर्व में सुना जा चुका है।

2. विपक्षी संख्या–3 ता 6 बजाज एलयांस कम्पनी लिमिटेड का अपने आवेदन में कथन है कि दावाकर्ता के द्वारा यह दावा वाद स्वयं के दुर्घटना में हुई क्षति दिनांक–25.2.2012 की क्षतिपूर्ति के लिए दाखिल किया गया है। दावाकर्ता के द्वारा वाहन संख्या–जे.एच.11इ/7215 के वाहन का बीमा के संबंध में विपक्षीगण को पक्षकार बनाया गया है। उनके द्वारा पॉलिसी संख्या–OG-13-2441-1803-00000089 रतन कुमार वर्णवाल पिता स्व. रामदेव लाल वर्णवाल मतरी आश्रम कोर्ट रोड़, जामताड़ा के रूप में वाहन संख्या–जे.एच.21बी/3576 जो दिनांक–22.05.12 से 21.05.13 तक प्रभावी है, उसको दाखिल किया गया है। उनका यह भी कहना है कि बीमा कम्पनी के द्वारा पॉलिसी संख्या–OG-13-2441-1803-00000089 सुरेन्द्र सिंह पिता–हरेन्द्र सिंह, सोनबार, गिरीडिह कॉलेज के नजदीक नाम से निर्गत नहीं है। दावाकर्त्ता के द्वारा बनावटी गलत एवं अवैध पॉलिसी का कागजात दाखिल किया गया है तथा कथित गाड़ी उक्त तारीख को विपक्षी संख्या–3 ता 6 से बीमित नहीं थी, इसतरह विपक्षीगण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है और न ही उनके विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न होता है। अतः यह आवेदन स्वीकार करते हुए साम्य एवं न्यायहित में विपक्षीगण–3 ता 6 को इस वाद से मुक्त किया जाय। उनके द्वारा बीमा से संबंधित कागजात भी दाखिल किया गया है जो रतन वर्णवाल के नाम से निर्गत है।

3. दावाकर्त्तागण की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए कहा गया है कि विपक्षी संख्या–3 ता 6 के तरफ से दाखिल आवेदन कानुन एवं तथ्यात्मक रूप से पोषणीय नहीं है। उनके द्वारा केन्द्रीय मोटर भेहिकल रूल 1989 का पालन नहीं किया गया है। उनका आगे यह भी कथन है कि दुर्घटना के समय वाहन स्वामी के द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई के यहाँ उपरोक्त

कृ.उ...

–लगातार– कागजात दाखिल किया गया। तत्पश्चात् विद्वान न्यायालय द्वारा संबंधित

17.08.2021 विभाग द्वारा कागजात की माँग की गई और पुलिस द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। घटना के समय उपरोक्त गाड़ी बीमित थी। बीमा कम्पनी के द्वारा पुलिस के समक्ष या विद्वान न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया। यदि कागजात बनावटी एवं गलत था तो कम्पनी को चाहिए था कि वे पुलिस को इसकी सूचना देते। इस न्यायालय को धारा–169 मोटर वाहन अधि. के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार है कि किसी भी साक्षी का शपथ–पत्र पर बयान लें और किसी दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश पारित कर सकता है। अतः विपक्षी संख्या–3 ता 6 के तरफ दाखिल आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उचित आदेश पारित किया जाय।

4. विपक्षी संख्या–3 ता 6 एवं दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि दावाकर्ता गौतम कुमार के द्वारा यह दावा वाद विपक्षी संख्या–3 ता 6 एवं वाहन संख्या–जे.एच.11इ/7215 के विरूद्ध दाखिल किया है। उनके द्वारा अभिलेख के साथ बीमा से संबंधित कागजात की फोटो प्रति दाखिल की गई है जिसका पॉलिसी संख्या–OG-13-2441-1803-00000089 है इसके विपरित विपक्षी संख्या–3 ता 6 के तरफ से दाखिल आवेदन दि.–04.03.21 के द्वारा बीमा से संबंधित कागजात की फोटो प्रति दाखिल किया गया है जो दि.–22 मई, 2012 से 21 मई, 2013 तक वैध है और वाहन संख्या–जे.एच.21बी./3576 पियाजो डीलेवरी वैन का है। जबकि आवेदक के द्वारा दाखिल कागजात बोलेरो से संबंधित है, इसतरह दावाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत बीमा से संबंधित कागजात अवैध एवं बनावटी है और उपरोक्त बीमा पॉलिसी अन्य वाहन से संबंधित है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में विपक्षी संख्या–3 ता 6 के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–04.03.21 को स्वीकृत किया जाता है और विपक्षी संख्या–3 ता 6 का नाम इस दावा वाद से विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अब यह वाद विपक्षी संख्या–1 एवं 2 के विरूद्ध ही चलेगा। तद्नुसार आवेदन स्वीकृत किया गया।

वाद दिनांक–02.09.21 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु निश्चित।

(राकेश कुमार–I)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जमुई

ecourts